<u>**न्यायालयः विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट, जालौन स्थान उरई।**</u>
<u>**जी.एस.टी. नम्बर 07/2017**</u>

सरकार प्रति शफीक कुरैशी आदि।

<u>**आरोप**</u>

मैं, मौहम्मद कमर, विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट, जालौन स्थान उरई। आप अभियुक्तगण **1–शफीक कुरैशी, 2–काले कुरैशी, 3–इरफान कुरैशी** के विरूद्ध निम्नलिखित आरोप विरचित करता हूँ कि–

यह कि दिनांक समय व स्थान पर थाना कैलिया, जिला जालौन में आप अभियुक्त गैंग लीडर द्वारा अपने साथी के साथ आर्थिक एवं भौतिक लाभ के उद्देश्य से अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होकर जघन्य अपराध कारित कर जनता में भय व आतंक का माहौल पैदा किया गया है। इस प्रकार आप भा0दं0वि0 के अध्याय 16, 17 व 22 में वर्णित अपराधों को करने के अभ्यस्त अपराधी हैं तथा उक्त कृत्य धारा 3 गैंगस्टर अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है। अभियोजन के अनुसार आप लोगों के द्वारा कारित आपराधिक कृत्यों का विवरण निम्नवत् हैः–

<u>**अभियुक्त शफीक कुरैशी**</u>

मु0अ0सं0 87/16,, धारा 379, 411 भा0द0सं0, मु0अ0सं0 88/16, धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम, मु0अ0सं0 78/16, धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम, मु0अ0सं0 89/16, धारा 4/25 आयुध अधिनियम,

<u>**अभियुक्त काले कुरैशी**</u>

मु0अ0सं0 87/16,, धारा 379, 411 भा0द0सं0, मु0अ0सं0 88/16, धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम, मु0अ0सं0 78/16, धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम, मु0अ0सं0 90/16, धारा 4/25 आयुध अधिनियम।

<u>**अभियुक्त इरफान कुरैशी**</u>

मु0अ0सं0 87/16,, धारा 379, 411 भा0द0सं0, मु0अ0सं0 88/16, धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम, मु0अ0सं0 78/16, धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम, मु0अ0सं0 91/16, धारा 4/25 आयुध अधिनियम।

अतएव मेरे द्वारा निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप में आप लोगों का परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

दिनांकः 16.10.2023

(मौहम्मद कमर)
विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट,
जालौन स्थान उरई।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। उपरोक्त आरोपों से अभियुक्तगण ने इनकार किया तथा विचारण की मांग की।

दिनांकः 16.10.2023

(मौहम्मद कमर)
विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट,
जालौन स्थान उरई।

<u>न्यायालयः विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट, जालौन स्थान उरई।</u>
<u>जी.एस.टी. नम्बर 07/2017</u>

सरकार प्रति शफीक कुरैशी आदि।

<u>दिनांकः 16.10.2023</u>

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार पर अभियुक्तगण **1—शफीक कुरैशी, 2—काले कुरैशी, 3—इरफान कुरैशी** उपस्थित। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (गैंगस्टर एक्ट) को आरोप के बिन्दु पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, में आरोप बनाये जाने का प्रथम दृष्टया आधार पर्याप्त है। अभियुक्तगण के विरूद्ध अंतर्गत धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, में आरोप विरचित किया गया तथा उन्हें पढकर सुनाया व समझाया गया, तो अभियुक्तगण ने आरोप से इनकार किया तथा विचारण की मांग की। पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनांक 03.11.2023 नियत की जाती है। अभियोजन साक्षी जरिये सम्मन नियत दिनांक हेतु तलब हों।

विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट,
जालौन स्थान उरई।